न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं.:— 37/2017

श्यामबाबू पुत्र हरचंदी (नवीरा सोनी) जाति बाबाजी निवासी हथैनी तह0 भरतपुर हाल निवासी वीरमपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. रमेश
2. गोपाल
3. सुरेश
4. हरीओम

पुत्रगण राधेश्याम

5. गजेन्द्र
6. हरप्रसाद
7. जयप्रकाश
8. संतोष
9. खूबीराम

पुत्रगण रामनारायण

10. रामनारायन पुत्र रामशरण

जातिगण बाबाजी निवासी हथैनी तहसील व जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः—13.11.2017

प्रार्थीगण ने अपने राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि बांके ग्राम हथैनी तहसील भरतपुर स्थित हाल आ.ख.न. 197/0.35 पर प्रार्थी के बाबा सोनी पुत्र पूरना 1/9 हिस्सा के खातेदार थे। प्रार्थी के बाबा सोनी व प्रार्थी के पिता हरचंद का स्वर्गवास हो चुका है जिनका एक मात्र वारिस प्रार्थी ही है।

प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान उक्त आराजी में हिस्सों के मुताबिक मनवट से काश्त करते हुए अपने—अपने हिस्से पर शन्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है और अपने अपने हिस्सों को उपभोग में ले रहे है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य आराजी मुतनाजा की बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी द्वारा मनवट में आए हिस्सों को लक्ष्मन, हरेन्द्र पुत्रगण रामदास के लिए काश्त पर दे दिया है।

सत्यमेव जयते
Web copy, Not official

अप्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा से कोई भी सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी के द्वारा अपने हिस्से को काश्त पर दिये गए व्यक्ति लक्ष्मण व हरेन्द्र तथा उनके परिवारी जनों से रंजिश रखते हैं। इसी कारण अप्रार्थीगण द्वारा झूठे मुकदमा भी प्रार्थी के खेत को करने वालों के खिलाफ कर रखे हैं तथा नाजायज गिरोह बनाकर प्रार्थी के हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है।

दिनांक 29.05.2011 को प्रार्थी अपने हिस्से पर खेत वाड़े में रखे हुए प्रार्थी के घूड़े विटौरा व कृषि यंत्रो की देखभाल के लिए गया तो अप्रार्थीगण एक राय मशविरा करके मौके पर आ गए एवं प्रार्थी के सामान को फेंकते हुए बोले कि हम तुम्हें तुम्हारे हिस्से पर काश्त नहीं करने देगें तथा भूमि को नाकाबिल काश्त कर देंगे। जबकि अप्रार्थीगण को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को मूल दावा के अन्तिम निस्तारण तक इस कदर अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वह वांके ग्राम हथैनी स्थित हाल आ.ख.न. 197/0.35 में किसी भी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें तथा किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। मौका की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में नकल जमाबंदी संबत 2071–2074 की पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और दिनांक 23.06.2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त हाल ख0नं0 197/0.35 है0 पर वादी/प्रार्थी के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में बतौर खातेदार कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है। प्रार्थी का 1/9 हिस्सा रिकार्ड ऑफ राईट्स से प्रमाणित नहीं हैं। जब प्रार्थी/वादी किसी विशिष्ट भाग का सह खातेदार दर्ज रिकार्ड ही नहीं है। जब वादी का दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट मैन्टेनेबिल नहीं है तो उसका प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट भी स्वतः मैन्टेनेबिल नहीं हैं। वादग्रस्त हाल ख0नं0 187 के बगल में हाल ख0नं0 198/0.13 है0 स्थित है जिस पर अप्रार्थीगण के पिता राधेश्याम, रामनारायन व जमनादास, रामवीर पुत्रगण रामसरन 1/4 हिस्से के खातेदार है। प्रार्थी ने महज तंग व परेशान करने को यह दावा व

प्रार्थना पत्र पेश किया है। उन्होने प्रार्थना पत्र को मय हर्जा 10,000/– सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकरान के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। विवेचन बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः–

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 ग्राम हथैनी के अनुसार आ.ख.न. 197/0.35 में प्रार्थी के नाम कोई भी खातेदारी दर्ज नहीं है। हालांकि प्रार्थी ने स्वयं को खातेदार सोनी का नवीरा होना अवगत कराया है व स्वयं को उक्त

आराजी में 1/9 हिस्से का खातेदार होना बताता है। किन्तु रिकार्ड आफ राइट्स से साबित नहीं है। आर0टी0एक्ट की धारा 5(43) में अभिधारी की परिभाषा दी गयी है। आर0टी0एक्ट की धारा 188 के अनुसर दावा लाने को अभिधारी ही सक्षम है। वादी/प्रार्थी के नाम जमाबन्दी रिकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज नहीं है। प्रार्थी/वादी न तो धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत दावा ला सकता है न धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। वादी ने अपने दावा में स्वयं के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89 आर0ओ0 एक्ट का अनुतोष नहीं चाहा है। न्यायिक दृष्टान्त **When from revenue record it is proved that person is khatedar tenant of the land then decree for permanent injunction in his favour should be granted.**

इस प्रकार अभिधारी होने की प्रास्थिति साबित करना इस धारा के अधीन कार्यवाही करने की प्रथम शर्त है।

स्वयं प्रार्थी नें जो मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2017 पेश की है उसके अनुसार ही हाल ख0नं0 187/0.35 है0 पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

वादग्रस्त आराजी में हेतराम पुत्र बल्लभ, हरदेई पत्नि गुलाबसिंह हिस्सा बराबर 47/52 सोरनसिंह पुत्र चुन्नी हिस्सा 1/3, मनोहर नत्थी पितरान बुध्दा हिस्सा बराबर 1/3, दयालदास, कल्यानदास पितरान सामलिया हिस्सा बराबर 2/3 दर हिस्सा 1/6 नानगा पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/6, सोनी सरमन पितरान पूरना हिस्सा बराबर 2/9, श्यामबिहारी पुत्र धनीराम हिस्सा 3/4, छैलबिहारी कुंजबिहारी पितरान धनीराम, ललिता नवलदेई, मोनिका पुत्रियान धनीराम हिस्सा बराबर 5/24 किशोरीबाई पुत्री कल्ला हिस्सा 2/27 दर हिस्सा 5/52 जाति बाबाजी दर्ज रिकार्ड है। मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। और नही कोई व्यक्ति जबरदस्ती अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है।

इसके अलावा विवादित आराजी का विधिवत विभाजन भी नहीं हुआ है। सभी खातेदार मनवट से ही काश्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में, अन्य सहखातेदारान भी आराजी में प्रत्येक इंच पर हिस्सानुसार खातेदार है। और किसी भी सहखातेदार को अनावश्यक रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता। पटवारी हल्का की मुताबिक मौका रिपोर्ट वाद ग्रस्त आराजी पर किसी का भी अतिक्रमण नही है। प्रतीत होता है कि अकारण अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से प्रार्थी उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नही होता है। <u>सुविधा का संतुलनः–</u> वाके ग्राम हथैनी तह0 भरतपुर स्थित ख0न0 197/0.35 के प्रार्थी के बाबा सोनी के अलावा अन्य सहखातेदार और भी है। प्रार्थी के नाम वर्तमान रिकार्ड में कोई इन्द्राज नही है। एक मिनिट के लिए प्रार्थी को सोनीराम का वारिस मान भी लिया जावे तो फिर भी अन्य सहखातेदारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया जा सकता। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी ने हक में सिद्ध नही होता है।

अपूर्णनीय क्षतिः— प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रमाणित नही हुए है। यदि वादग्रस्त आराजी पर धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से अन्य सह खातेदारान को पाबन्द किया जाता है तो प्रार्थी की अपेक्षा अन्य सह खातेदारों को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता हो। इस प्रकार उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थी के हक में प्रामाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय दिनांक 13.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलक्टर,
भरतपुर

`

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official